

- ग) परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के उपरान्त संक्षिप्त सूची (Shortlisted) के अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सीय जाँच के उपरान्त उनके पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित शारीरिक जाँच/चिकित्सीय जाँच/ प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में आवेदन में भरे गये स्थानीय निवासी/आरक्षण के दावे/पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर यथा स्थिति आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

7. परीक्षा का स्वरूप

7.1 परीक्षा OMR आधारित होगी।

7.2 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगी:-

- (क) लिखित परीक्षा
- (ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा
- (ग) चिकित्सीय जाँच परीक्षा

7.3 क) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-

(I) अनारक्षित	-	40 (चालीस) प्रतिशत
(II) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति	-	32 (बत्तीस) प्रतिशत
(III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-1)	-	34 (चौतीस) प्रतिशत
(IV) पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-2)	-	36.5(छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत
(V) महिला	-	32 (बत्तीस) प्रतिशत

- ख) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु भेज दी जायेगी। तदुपरान्त महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड, राँची द्वारा गठित नियुक्ति पर्षद के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा है जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा।

ग) लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी तथा इसमें सफल होना अनिवार्य होगा अन्यथा मेधा सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

घ) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में योग्य पाए गए सफल अभ्यर्थियों की मेधासूची गठित की जाएगी तथा उनके प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा की जायेगी। रिक्ति रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में नीचे से मेधाक्रम में अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु नियुक्ति पर्षद को उपलब्ध करायेगा। मेधाक्रम में नीचे से अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में उक्त कंडिका 7.3 (क) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक का अनुपालन किया जायेगा।

7.4 लिखित परीक्षा :-लिखित परीक्षा में दो पत्र होंगे। दोनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।

7.5 प्रश्न पत्र-1:-

i) इस पत्र में निम्नलिखित पाँच उपखण्ड होंगे:-

(क)	हिन्दी भाषा ज्ञान	-	50 प्रश्न
(ख)	सामान्य ज्ञान	-	50 प्रश्न
(ग)	सामान्य विज्ञान	-	25 प्रश्न
(घ)	सामान्य गणित	-	25 प्रश्न
(ङ)	अंग्रेजी भाषा ज्ञान	-	25 प्रश्न

कुल - 175 प्रश्न

ii) उपर्युक्त उपखण्डों का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा:-

- क) हिन्दी भाषा ज्ञान:- इसके अधीन अपठित अनुच्छेद, पद्यांश तथा व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे। इस उपखण्ड में बारहवीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।
- (ख) सामान्य ज्ञान:- इस पत्र में सामायिक विषय, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान, इतिहास एवं भूगोल तथा झारखण्ड राज्य के ज्ञान से सम्बन्धित के प्रश्न रहेंगे। इस उपखण्ड में बारहवीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।
- (ग) सामान्य विज्ञान:- इस उपखण्ड में आठवीं कक्षा स्तर के सामान्य विज्ञान विषयक प्रश्न रहेंगे।
- (घ) सामान्य गणित:- इस उपखण्ड में आठवीं कक्षा स्तर के सामान्य गणित विषयक प्रश्न रहेंगे।
- (ङ) अंग्रेजी भाषा ज्ञान:- इस पत्र में अपठित अंग्रेजी अनुच्छेद, व्याकरण, अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद से सम्बन्धित इण्टरमीडिएट कक्षा स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

- iii) प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 (दो) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 (दो) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.66 (शून्य दशमलव छः छः) अंक की कटौती की जायेगी।
- iv) परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

7.6 i) प्रश्न पत्र-2:-

इस पत्र के अधीन अभ्यर्थियों के स्थानीय/जनजातीय भाषा, यथा-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुड़ूख(उराँव)/कुरमा ली/खोरटा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में किसी एक भाषा की परीक्षा ली जायेगी। यह प्रश्न पत्र अर्हक होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। इस पत्र में 33 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रथम पत्र का मूल्यांकन किया जायेगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रथम पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

- ii) स्थानीय/जनजातीय भाषाओं की सूची परिशिष्ट (IV) एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट (V) के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है। प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 (एक) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 (एक) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 (शून्य दशमलव तीन तीन) अंक की कटौती की जायेगी।
- iii) द्वितीय पत्र अर्हक पत्र है अतएव इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।
- iv) इस पत्र में प्रश्नों की संख्या 50 होगी तथा परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी।

7.7 राज्य के परीक्षा केन्द्रों में उपलब्ध सीट से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाने पर लिखित परीक्षा दो अथवा इससे अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी।

7.8 शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

(क) शारीरिक मापदण्ड:-

क्रमांक	आरक्षण कोटि	ऊँचाई (से०मी०)	सीना (से०मी०)
1.	अनारक्षित	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
2.	अनुसूचित जनजाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
3.	अनुसूचित जाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
5.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
6.	महिला	न्यूनतम 148	-